"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 216] रायपुर, बुधवार, दिनांक 25 मई 2016— ज्येष्ठ 4, शक 1938

गृह विभाग
(सी-अनुभाग)
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 19 मई 2016

अधिसूचना

क्रमांक एफ-4-195/गृह-सी/2011. — छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा अधिनियम, 2005 (क्रमांक 14 सन् 2006) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-4-195/गृह-सी/2011, दिनांक 23 मई, 2015 में वृद्धि करते हुए पीपुल्स लिबरेशन फ्रण्ट आफ इण्डिया (पी.एल.एफ.आई.) एवं तृतीय प्रस्तुति कमेटी (टी.पी.सी.) को पुन: एक वर्ष की कालावधि के लिए विधि विरुद्ध संगठन के रूप में घोषित करती है.

यह अधिसूचना दिनांक 26 मई, 2016 से एक वर्ष के लिए छत्तीसगढ़ में प्रवृत्त रहेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनील कुमार रंजन, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 19 मई 2016

क्रमांक एफ-4-195/गृह-सी/2011. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 19-5-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनील कुमार रंजन, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 19th May 2016

NOTIFICATION

No. F-4-195/Home-c/2011. — In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Chhattisgarh Visesh Jan Suraksha Adhiniyam, 2005 (No. 14 of 2006), the State Government hereby, extends the notification of this Department No. F-4-195/Home-C/ 2011, dated 23 May, 2015 and declares Peoples Liberation Front of India (P.L.F.I.) and Tritiya Prastuti Commitee (T.C.P.) Organisation as Unlawful Organisations for a further period of one year.

This Notification will remain in force for one year in Chhattisgarh with effect from 26 May, 2016.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
SUNIL KUMAR RANJAN, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.